रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1980/कार्तिक 30, 1902
No.12] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1980/KARTIKA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

का० नि० आ० 14-ई०.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 121 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तट रक्षक के सदस्य की पंक्ति के तत्समान या निम्नतर पंक्ति का आफिसर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1) धारा 47, धारा 51 की उपधारा (1), धारा 52, 149, 150, 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त संहिता के अधीन सशक्त किया जाता है;

अतः, केन्द्रीय सरकार तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) के प्रयोजनों के लिए तट रक्षक का कोई सदस्य, इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के तट के समीप के अन्तर्देशीय क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनका तत्समान या निम्नतर पंक्ति के आफिसरों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1), धारा 47, धारा 51 की उपधारा (1), धारा 52, 149, 150, 151 और 152 के अधीन प्रयोग या निर्वहन किया जाता है।

अनुसूची

(1) भारत के पारम्परिक सागर-खण्ड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, स्पर्शी क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समाविष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र।

(2) किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पीछा करने में जो उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से गिरफ्तारी से निकल भागा है, भारत के तट के समीप के अन्तर्देशीय क्षेत्र के तीन किलोमीटर के भीतर और साथ ही राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड तथा भारत के तट के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।

[सी० जी० एच० क्यू० फा० सं० एल० डब्ल्यू०/0206]
के० के० माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ORDER

New Delhi, the 20th November, 1980

S.R.O. 14-E.—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in Clauses (i) and (ii) of sub-section 121 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), an officer of the corresponding or lower rank to that of the member of the Coast Guard is empowered under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), to, exercise the powers and discharge the duties under sub-section (1) of section 41, section 47 sub-section (1) of section 51, sections 52, 149, 150, 151 and 152 of the said Code;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby directs that for the purposes of clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of that section, any member of the Coast Guard may, within the local limits of inland area adjoining the Coast of India specified in the Schedule hereto annexed, exercise the powers and discharge the duties as are exercised or discharged by the officers of the corresponding or lower rank, under sub-section (1) of section 41, section 47, sub-section (1) of section 51, sections 52, 149 150, 151 and 152 of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

THE SCHEDULE

(1) The whole of the area comprised in the historic waters, territorial waters, contiguous zone, continental shelf and exclusive economic zone of India.

(2) Within 3 kilometers of inland area adjoining the coast of India, as well as the whole of the area between the territorial waters and the coast of India, in pursuit of arresting any offender who has escaped arrest in the area specified in (1) above.

[CGHQ F. No. LW/0206]
K. K. MATHUR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

का० नि० आ० 15-ई०.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 121 की उपधारा (3) के खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, तट रक्षक के सदस्य की पंक्ति के तत्समान या निम्नतर पंक्ति का आफिसर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1), धारा 47, की उपधारा 51 की उपधारा (1), धारा 52, 149, 150, 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त संहिता के अधीन सशक्त किया जाता है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 121 की अपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उस धारा की उपधारा (3) के खण्ड (i) और (ii) के प्रयोजनों के लिए तट रक्षक का कोई सदस्य, भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनका तत्समान या निम्नतर पंक्ति के आफिसरों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1), धारा 47, धारा 51 की उपधारा (1), धारा 52, 149, 150, 151 और 152 के अधीन प्रयोग या निर्वहन किया जाता है।

अनुसूची

(1) भारत के पारम्परिक सागर-खण्ड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, स्पर्शी क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समाविष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र।

(2) किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पीछा करने में जो उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से गिरफ्तारी से निकल भागा है, भारत के तट के समीप के अन्तर्वेशीय क्षेत्र के तीन किलोमीटर के भीतर और साथ ही राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड तथा भारत के तट के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।

[सीजीएचक्यू फा० सं० एल० डब्ल्यू/0206]
के० के० भाथुर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th November, 1980

S.R.O. 15-E.—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in clauses (i) and (ii) of sub-section (3), of section 121 of the Coast Guard Act 1978 (30 of 1978) an officer of the rank corresponding or lower rank to that of the member of the Coast Guard is empowered under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) to exercise the powers and discharge the duties under sub-section (1) of section 41, section 47, sub-section (1) of section 51, sections 52, 149, 150, 151 and 152 of the said Code;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 121 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby directs that for the purposes of clauses (i) and (ii) of sub-section (3) of that section, any member of the Coast Guard may, within the local limits of such area in the maritime zone of India as specified in the Schedule hereto annexed, exercise the powers and discharge the duties as are exercised or discharged by the officers of the corresponding or lower rank under sub-section (1) of section 41, section 47, sub-section (1) of section 51, sections 52, 149, 150, 151 and 152 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

SCHEDULE

(1) The whole of the area comprised in the historic waters, territorial waters, contiguous zone, continental shelf and exclusive economic zone of India.

(2) Within 3 kilometers of inland area adjoining the coast of India, as well as the whole of the area between the territorial waters and the coast of India, in pursuit of arresting any offender who has escaped arrest in the area specified in (1) above.

[CGHQ F. No. LW/0206]
K. K. MATHUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980